ORIGINAL IN HINDI

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.141
TO BE ANSWERED ON 10TH DECEMBER, 2021

PROCUREMENT OF MAIZE AT MSP IN MADHYA PRADESH

141 # SHRI DIGVIJAYA SINGH:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** be pleased to state:

(a) the quantity of maize procured at Minimum Support Price (MSP) and the total amount of maize produced in Madhya Pradesh in 2019-20, 2020-21 and 2021-22; and

(b) the percentage of maize procured at MSP out of the total production?

ANSWER
MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND TEXTILES
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF THE STARRED QUESTION NO. *141 FOR ANSWER ON 10.12.2021 IN THE RAJYA SABHA.

(a) & (b) As per guidelines for allocation, distribution and disposal of coarse grains, States are allowed to procure coarse grains (Jowar, Bajra, Maize & Ragi etc.) from farmers at Minimum Support Price (MSP) under central pool with the prior approval of Government of India. The procured quantity has to be distributed under Targeted Public Distribution System(TPDS)/Other Welfare Schemes(OWS) in the States/UTs and the combined allocation of wheat and rice to the equivalent quantity of coarse grains shall stand automatically reduced.

As per the information provided by the State Government of Madhya Pradesh, the total amount of maize produced in Madhya Pradesh in Kharif Marketing Season 2019-20, 2020-21 and 2021-22 is 43.69 Lakh Metric Ton(LMT), 43.13 LMT, 51.42 LMT respectively.

Government of India has not received any proposal from State Government of Madhya Pradesh for procurement and distribution of maize in 2019-20, 2020-21 and 2021-22 in TPDS/OWS.

*****

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 141

10 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

मध्य प्रदेश में मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाना

***141 श्री दिग्विजय सिंहः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में मक्का की खरीद की गई तथा उपर्युक्त वर्षों के दौरान राज्य में मक्का का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) मक्का के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत उपज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 10 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 141 के उत्तर के भाग (क) से (ख) से संबंधित विवरण

(क) और (ख): मोटे अनाज के आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्रीय पूल के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आदि) खरीदने की अनुमति दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों(ओडब्ल्यूएस) के तहत खरीदी गई मात्रा को वितरित किया जाना होता है और मोटे अनाज की समतुल्य मात्रा के लिए गेहूं और चावल का संयुक्त आवंटन स्वत: ही कम हो जाएगा।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, खरीफ विपणन मौसम 2019-20, 2020-21 और 2021-22, में मध्य प्रदेश में उत्पादित मक्का की कुल मात्रा क्रमश: 43.69 लाख टन, 43.13 लाख टन और 51.42 लाख टन है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याणकारी स्कीमों में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मक्का की खरीद और वितरण के लिए भारत सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******

श्री उपसभापति : माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप अपना पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपसभापति महोदय, मध्य प्रदेश के लिए मक्का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में मक्का बोई जाती है। महोदय, जो उत्तर आया है, उसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मध्य प्रदेश में मक्का की कहीं खरीद हुई है, जबकि मुझे मालूम है कि 2019-20 में राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में मक्का की खरीद की थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश में 2019-20 में मक्का की खरीद की गई थी? यदि इसकी खरीद की गई थी, तो कितनी की गई थी?

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय उपसभापति महोदय, दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं और उन्हें एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि मोटा अनाज खरीदने का विषय राज्यों का है। यदि राज्य अपने उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को मोटा अनाज उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो राज्य सरकारें यह खरीदकर उनको बांट सकती हैं।

श्री उपसभापति : दिग्विजय सिंह जी, आप दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति जी, मैंने जानकारी के बारे में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी है या नहीं है? शायद उनके पास जानकारी नहीं होगी।

मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में केन्द्रीय सरकार की क्या यह बाध्यता है कि वह नहीं खरीदेगी? मैंने केन्द्र सरकार की फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को देखा है और उसमें पता चलता है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राज्य सरकार निवेदन करेगी, तब ही आप खरीदेंगे। केन्द्र सरकार भी इस मामले में खरीद कर सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या मक्का खरीदने के लिए केन्द्र सरकार कोई प्रोत्साहन देगी?

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य specific बार-बार यह कह रहे हैं और शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि थोड़े समय के लिए उनकी वहां सरकार थी, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, this is not fair. माननीय उपसभापति जी, सदन के नेता बेकार में इसे political issue बना रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या आपने खरीद की है? आप कह दें कि खरीद नहीं की।...(**व्यवधान**)... आप पहले मेरी बात सुन लें, 2019-20 में खरीद की गई।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़ पूरी बात सुन लें।

श्री पीयूष गोयल : मैं सन् 2016-17 में मक्का की खरीद के बारे में बताना चाहता हूं...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं 2016-17 की बात ही नहीं कर रहा हूं...**(व्यवधान)**...2019-20 में खरीद की गई, आपने खरीद नहीं की।

श्री पीयूष गोयल : मैं सीधा जवाब देता हूं कि 2019-2020 में मक्का की कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई।...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : आप बात को दूसरी तरफ ले गए, जबकि मेरा प्रश्न दूसरा था।

श्री उपसभापति : आपके दूसरे प्रश्न का जवाब माननीया मंत्री जी देंगी।

श्री दिग्विजय सिंह : वे मेरे इस प्रश्न का जवाब दें।

साध्वी निरंजन ज्योति : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो 2016-17 का जिक्र किया है, उस दौरान 50,000 मीट्रिक टन मक्का खरीदा गया था।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने 2019-20 के बारे में पूछा था।

साध्वी निरंजन ज्योति : आपने 2016-17 के बारे में भी पूछा था इसलिए मैं 2016-17 का भी रिकॉर्ड लेकर आई हूं। वर्ष 2016-17, 2018-19 और 2020-21 में मध्य प्रदेश में मोटा अनाज खरीदा गया, लेकिन मक्का की खरीद नहीं हुई है। यदि वहां की सरकार खरीदना चाहे तो खरीद सकती है।

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, even though the question is related to procurement of maize in Madhya Pradesh, I would like to ask the hon. Minister whether they have a national policy of procurement of highly nutritious low cost millets for the children for the mid-day scheme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question is related to Madhya Pradesh as you have mentioned. If the Minister likes to respond, he may.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, it is very much permitted that State Governments send a proposal under Decentralised procurement system (DCP). If they wish to replace rice and wheat that is being distributed under the Food Security programme by any of these other products like Ragi or Maize or *Jawar*, all these millets, it can only be procured by them on the Central pool as a replacement of what is being procured

under rice and wheat and distribute it. If any State Government chooses not to procure rice and wheat and procure these other coarse grains and distribute it and if they come to the Central Government, then we allow that. But, in addition to what the requirement of State is that procurement will be to the account of the State Government not the Central Government.

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभापति जी, बिहार सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि सेंट्रल एजेंसी मक्का की खरीद करे, लेकिन NAFED ने एक शर्त लगा दी कि जो खरीद करेंगे, वे उसका ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन की जो राशि होगी और एमएसपी की जो राशि होगी, उनमें जो अंतर होगा, उसका भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस तरह की शर्त न लगाई जाए, क्योंकि बिहार में बम्पर क्रॉप होती है। अगर NAFED खरीदता है तो समर्थन मूल्य पर उसे खरीदे, अंतर राशि का भुगतान राज्य सरकार को करने के लिए बाध्य न किया जाए।

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति जी, मैंने अभी-अभी बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि केन्द्रीय सरकार इन millets को राज्य सरकार को खरीदने की तब ही अनुमति देती है कि अगर एनएफएसए में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसे रिप्लेस करके बांटे। जो उससे अधिक खरीदते हैं, NAFED सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वहां पर खड़ा होता है, साधारणत: NAFED यह प्रोक्योरमेंट नहीं करती है। अगर राज्य सरकार ने कोई प्रपोजल भेजा होगा, वह मेरी जानकारी में नहीं है, तो साधारणत: as a facilitator not as a MSP programme procurement, अगर राज्य सरकार चावल और गेहूं को रिप्लेस करके यह चाहती है, तब यह प्रश्न उठेगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 142.